[2009] 7 एस.सी.आर. 321

तुतुल कुमार सेन

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

आपराधिक अपील संख्या 19/2003

28 अप्रैल, 2009

[न्यायमूर्ति डॉ अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली]

निर्णय/आदेश: बिना कारण बताने वाला आदेश - चार्जशीट - आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत मुक्त करने की प्रार्थना, परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई - पुनरीक्षण - उच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षण न्यायालय ने आरोपी को मुक्त करने से इनकार करके गलती की - चुनौती दी गई - कहा गया: उच्च न्यायालय का आदेश बिना कारण का था - कारणों की अनुपस्थिति ने आदेश को अस्थायी बना दिया - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।

अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी-प्रतिवादी 2 ने अपीलकर्ता-जानकारीकर्ता के साथ बलात्कार किया। जांच के बाद, पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत की। मुक्त करने के लिए आवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया गया कि जानकारीकर्ता की उम्र वैसी नहीं थी जैसी दर्शाई गई थी और इसलिए न तो धारा 376 और न ही 493 आईपीसी के तहत कोई अपराध बनता था। परीक्षण न्यायालय ने मुक्त करने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।

प्रतिवादी 2 ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने कहा कि परीक्षण न्यायालय स्पष्ट रूप से गलती कर रहा था जब उसने आरोपी को मुक्त करने से इनकार किया। इसलिए अपील की गई।

अपील का निपटारा करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजते हुए, अदालत ने कहा:

उच्च न्यायालय का आदेश व्यावहारिक रूप से बिना कारण का था। यह निश्चित रूप से पुनरीक्षण याचिका के निपटारे का तरीका नहीं था। परीक्षण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के निष्कर्षों के अस्थिर होने के कारणों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। यह भी नहीं बताया गया कि उच्च न्यायालय इस विचार में क्यों था कि प्राथमिकी में

कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ। कारण आदेश में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के सबसे स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो, अपने कारण प्रस्तुत करने चाहिए थे, विशेष रूप से जब उसका आदेश आगे की चुनौती के लिए खुला हो। प्रभावित पक्ष को यह जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ निर्णय क्यों लिया गया। प्राकृतिक न्याय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आदेश के लिए कारण स्पष्ट किए जाएं। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्थिर बना दिया है। [पैराग्राफ 5, 6] [324-एस-ई; 325-ए]

राज्य बनाम धनिराम लुहार 2004 (5) एससीसी *568* - पर निर्भर किया गया।

ब्रीन बनाम अमाल्गमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971 (1) ऑल -ई.आर. 1148; *एलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री 1974 एलसीआर 120* - का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ:

2004 (5) एससीसी 568	पर निर्भर किया गया	पैराग्राफ 5
1971 (1) All E.R. 1148	का उल्लेख किया गया	पैराग्राफ 5
1974 LCR 120	का उल्लेख किया गया	पैराग्राफ 5

अपराध अपील अधिकार क्षेत्र: अपराध अपील संख्या 19/2003

उच्च न्यायालय झारखंड, रांची द्वारा दिनांक 13.12.2001 के निर्णय और आदेश से, अपराध पुनरीक्षण संख्या 363 वर्ष 2001 में।

अपीलकर्ता के लिए: एस.के. सिन्हा

प्रतिवादी के लिए: गोपाल प्रसाद, प्रशांत कुमार

अदालत का निर्णय:

यह निर्णय **न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पासायत** द्वारा दिया गया।

1.इस अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को दी गई है, जिसने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया।

2.तथ्यात्मक स्थिति को संक्षेप में नोट करना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227, 1973 (संक्षेप में 'कोड') के तहत मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। राज्य ने इस कदम का विरोध किया। मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी ') की धाराओं 493 और 376 के तहत अपराधों के कथित आयोग के लिए दर्ज किया गया था, जो वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर था।

प्राथमिकी में आरोप है कि बैसाख पूर्णिमा के दो दिन बाद आरोपी ने जानकारीकर्ता के घर आकर उसे उठाया और उसके साथ बलात्कार किया। जानकारीकर्ता का यह भी कहना था कि आरोपी ने उससे शादी करने का बहाना बनाकर बार-बार बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और शादी के लिए आरोपी पर दबाव डालने लगी। आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने इनकार कर दिया, इसलिए सूचना दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट प्रस्तुत की। मुक्त करने के लिए आवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया गया कि जानकारीकर्ता की उम्र वैसी नहीं थी जैसी दर्शाई गई थी और इसलिए न तो धारा 376 और न ही 493 आईपीसी के तहत कोई अपराध बनता था। परीक्षण न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं था जहाँ मुक्त करने की प्रार्थना स्वीकार की जा सके।

प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश के साथ पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया:

> "आवेदित आदेश को देखकर और पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, मैं पाता हूँ कि प्रश्नगत प्राथमिकी (सत्र मामला संख्या 312/2001, रामगढ़ पी.एस. मामला संख्या 69/2000) का सरल अवलोकन किसी अपराध के आयोग को प्रकट नहीं करता। इस मामले में, इसलिए, विद्वान परीक्षण न्यायालय (प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश, दुमका) ने आवेदक को मुक्त करने से इनकार करके स्पष्ट रूप से गलती की।

यह याचिका स्वीकार की जाती है। आवेदित आदेश को रद्द किया जाता है। आवेदक मामले से मुक्त किया जाता है।

हस्ता/- मुख्य न्यायमूर्ति वी.के. गुप्ता

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करके स्पष्ट रूप से गलती की है। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि किसी अपराध का आयोग प्रकट नहीं हुआ, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत है और प्राथमिकी के गलत पढ़ने पर आधारित है।

4.प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया।

5.हमें यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय का आदेश व्यावहारिक रूप से बिना कारण का है। यह निश्चित रूप से पुनरीक्षण याचिका के निपटारे का तरीका नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा धारा 227 कोड के तहत की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के निष्कर्षों के अस्थिर होने के कारणों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। यह भी नहीं बताया गया कि उच्च न्यायालय इस विचार में क्यों था कि प्राथमिकी में कोई अपराध प्रकट नहीं हुआ। कारण आदेश में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के सबसे स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो, अपने कारण प्रस्तुत करने चाहिए थे, विशेष रूप से जब उसका आदेश आगे की चुनौती के लिए खुला हो। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्थिर बना दिया है। यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में, लॉर्ड डेनिंग एम.आर. ने ब्रीन बनाम अमाल्गमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971 (1) ऑल ई.आर. 1148) में कहा था, "कारण बताना अच्छे प्रशासन का एक मूलभूत तत्व है"। एलेक्जेंडर मशीनरी (डडली) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री (1974 एलसीआर 120) में यह कहा गया: "कारण न बताना न्याय के इनकार के बराबर है। कारण निर्णय लेने वाले की मानसिकता और विवादित मुद्दे तथा निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत कड़ी होते हैं"। कारण विषयवस्तु को वस्तुनिष्ठता द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को रिकॉर्ड करने पर जोर इस बात का है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स का रहस्यमय चेहरा" प्रकट करता है, तो इसकी चुप्पी अदालतों के लिए अपील कार्य करने या निर्णय की वैधता का न्यायिक पुनरावलोकन करने में लगभग असंभव बना देती है। कारण बताने का अधिकार एक साउंड न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है, जो कम से कम इस बात का संकेत देता है कि अदालत के समक्ष मामले पर मानसिकता लागू की गई थी। एक अन्य तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष जान सके कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया। प्राकृतिक न्याय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आदेश के लिए कारण स्पष्ट किए जाएं, दूसरे शब्दों में, यह बोलना आवश्यक है। "स्फिंक्स का रहस्यमय चेहरा" सामान्यतः न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत होता है। यह अदालत राज्य बनाम धनिराम लुहार (2004 (5) एससीसी 568) में पिछले दो दशकों में व्यक्त किए गए विचार को पुनः व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय की आवश्यकता, कर्तव्य और दायित्व पर जोर देती है कि उसे ऐसे मामलों को निपटाते समय कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए। किसी न्यायिक मंच द्वारा निर्णय/आदेश और न्यायिक शक्ति का प्रयोग इसका मुख्य बिंदु होता है कि वह अपने निर्णय के लिए कारण प्रकट करे और कारण बताना हमेशा साउंड प्रशासनिक न्याय वितरण प्रणाली का एक मूलभूत तत्व माना गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि अदालत ने मुद्दे पर उचित और उचित मानसिकता लागू की थी और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यक आवश्यकता भी है। किसी भी न्यायिक शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग होना चाहिए और केवल इस तथ्य से कि अदालत/फोरम को इसे किसी भी तरह से प्रयोग करने का विवेक दिया गया है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसे मनमाने

तरीके से या मनमानी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि प्रसिद्ध कहावत "चांसलर के पैर के अनुसार बदलना" कहती है। मनमानीपन हमेशा किसी भी शक्ति के न्यायिक प्रयोग का अभिशाप माना गया है, विशेष रूप से जब ऐसे आदेश उच्च फोरमों के समक्ष चुनौती देने योग्य होते हैं। ऐसे अनुष्ठानात्मक टिप्पणियाँ और संक्षिप्त निपटान जो कभी-कभी प्रभाव डालते हैं, इसे अदालतों के समक्ष दावे को विवेकपूर्ण ढंग से निपटाने का उचित और न्यायिक तरीका नहीं कहा जा सकता। निर्णय देने के लिए कारण बताना अदालतों के समक्ष किसी मामले को न्यायिक और विवेकपूर्ण ढंग से निपटाने की एक आवश्यक विशेषता होती है, और यह एकमात्र संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि किस प्रकार और गुणवत्ता में कार्यवाही की गई थी, साथ ही यह तथ्य भी कि संबंधित अदालत ने वास्तव में अपनी मानसिकता लागू की थी।

6.ऐसा होने पर, हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए उसे वापस भेजते हैं। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

7.अपील का इसी अनुसार निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|